बिहार सरकार
कृषि विभाग
उद्यान निदेशालय, बिहार

संविदा पर प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के पद पर नियोजन हेतु विज्ञापन

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–12534 दिनांक 17.09.2018 के अनुसार उच्च स्तरीय समिति की स्वीकृत अनुशंसाओं में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि संविदा पद/पदों पर कार्यरत संविदा कर्मियों की आवश्यकता उस विभाग में जहाँ वे कार्यरत है, नही है। लेकिन अन्य विभाग में उसी पदनाम एवं उसी योग्यता के पद रिक्त है एवं उन पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति आवश्यक है। ऐसी स्थिति में उन पद/पदों पर नयी नियुक्ति नही कर अन्य विभाग में समान पदनाम एवं योग्यता वाले पदों पर कार्यरत संविदा कर्मियों, जिनकी अब उस विभाग में जरूरत नहीं रह गयी है, अन्य विभाग में रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन की जा सकती है। इसके लिये संबंधित विभाग के साथ नये सिरे से एकरारनामा करना होगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यह सुविधा वैसे संविदा कर्मियों को अनुमान्य नही होगी जो अनुशासनिक कारण से हटाये गये है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत संकल्प/अनुदेशों के आलोक में प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी के सीधी नियुक्ति के स्वीकृत 358 पदो में से 1 पद पर कार्यरत कर्मी को छोड़कर कुल 357 (तीन सौ सन्तावन) पदो पर कृषि विभाग द्वारा अचयनित कृषि समन्वयकों से प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। इन पदो पर नियमित नियुक्ति हेतु सभी औपचारिकतायें पूरी करते हुए अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गयी है। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियमित नियुक्ति होने के पश्चात् इस विज्ञापन के माध्यम से संविदा पर नियोजित/कार्यरत प्रखंड उद्यान पदाधिकारियों की सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी।

मेधा सूची का निर्धारण शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जिलो से प्राप्त अचयनित कृषि समन्वयकों का प्रतिशत अंक तथा कृषि विभाग, बिहार सरकार में कार्य अनुभव के आधार पर किया जायेगा। कार्य अनुभव के अनुसार अधिकतम अंक एक वर्ष से दो वर्ष के बीच का कार्य अनुभव–10 अंक, दो वर्ष से तीन वर्ष के बीच का कार्य अनुभव–20 अंक एवं तीन वर्ष या इससे अधिक के कार्य अनुभव–30 अंक। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्रतिशत प्राप्तांक के अनुसार अधिकतम अंक–70 प्रतिशत प्राप्तांक को 0.7 से गुणा कर अंक निर्धारण किया जायेगा। उदाहरण के लिए 80 प्रतिशत प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी को 80×0.7 = 56 अंक मिलेंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संविदा के आधार पर नियोजन संबंधी समय–समय पर निर्गत परिपत्र/संकल्प के अनुसार शर्त एवं बंधेज लागू किये जायेंगे। नियोजन संबंधी विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :–

1. पद का नाम :– प्रखंड उद्यान पदाधिकारी
2. पदों की कुल संख्या–357 (सभी सहायक निदेशक उद्यान, जिला उद्यान कार्यालय में आवश्यकतानुसार किसी भी जिले में भेजा जायेगा।
3. नियोजन की अवधि :– नियोजन की तिथि से अधिकतम 11 महीना।
4. नियुक्ति/नियंत्री पदाधिकारी :– निदेशक उद्यान नियुक्ति पदाधिकारी होगें। प्रशासनिक नियंत्री पदाधिकारी सहायक निदेशक उद्यान होगें, तथा सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी/अपीलीय प्राधिकार निदेशक उद्यान होगें।
5. मानदेय–संविदा पर नियोजन हेतु गठित उच्च स्तरिय कमिटि द्वारा निर्धारित देय पारिश्रमिक के आधार पर मानदेय अनुमान्य होगा। जिसका समय–समय पर संशोधन उक्त कमिटी द्वारा ही किया जा सकेगा।
6. संविदा पर नियोजित कर्मी को उच्च स्तरीय कमिटी की अनुशंसा के आलोक में प्रति माह 27,000/– (सताईस हजार रूपये) मानदेय मात्र देय होगा।

7. संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता :–

- भारत का नागरिक हो।
- उम्र सीमा–दिनांक 01.01.2019 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 60 वर्ष।
- शैक्षणिक योग्यता :–बी०एस०सी० (उद्यान / कृषि)
- मेधा सूची का निर्धारण शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जिलो से प्राप्त अचयनित कृषि समन्वयकों का प्रतिशत अंक तथा कृषि विभाग, बिहार सरकार में कार्य अनुभव के आधार पर किया जायेगा।

8. आरक्षण :– सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं की सीधी नियुक्ति के लिए समय–समय पर निर्धारित आरक्षण प्रावधान लागू होंगे।
9. संविदा पर नियोजन के पूर्व चयनित अभ्यर्थी एवं निदेशक उद्यान के बीच एक एकरारनामा किया जाएगा। एकरारनामा के शर्तो का निर्धारण कृषि विभाग द्वारा किया जायेगा।
10. नियोजित कर्मी संवर्ग में स्थायी / नियमितीकरण के पात्र नहीं होंगे।
11. संविदा पर नियोजित कर्मियों के विरूद्व उनके साथ किये जाने वाले एकरारनामा की शर्तों तथा कृषि विभाग के निर्देश के आलोक में कार्रवाई की जा सकेगी।
12. दायित्व :– प्रखंड स्तर पर उद्यान तकनीकी प्रशिक्षण का आयोजन तथा योजनाओं का पर्यवेक्षण / अनुश्रवण करेंगे तथा सहायक निदेशक उद्यान तथा निदेशक उद्यान द्वारा समय–समय पर दिए गए कार्य, लक्ष्य तथा आदेशों का अनुपालन करेंगे।
13. यदि संविदा की अवधि समाप्ति के पूर्व पुनः इसका सेवा विस्तार नहीं होता है तो नियोजित कर्मियों की सेवा स्वतः समाप्त समझी जायेगी। इस हेतु कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
14. योजना कार्यान्वियन में समय–समय पर आवश्यकता होने पर उद्यान निदेशालय द्वारा आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है।
15. आवेदन जमा करना :– आवेदक द्वारा आवेदन विभागीय कार्य दिवस में उद्यान निदेशालय, पंत भवन, प्रथम तल में जमा किया जायेगा तथा उसकी प्राप्ति प्रति तथा नम्बर भविष्य में जानकारी प्राप्त करने हेतु सुरक्षित रखना होगा।
16. आवेदन समर्पित करने की तिथि :– विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्याल्लय अवधि (10:00 बजे पूर्वाहन् से 5:00 बजे अपराहन्) तक कार्यदिवस में स्वीकार्य होगा।
17. मूल प्रमाण–पत्र / कागजातों की जाँच :– आवेदन प्राप्ति के उपरांत मूल प्रमाण–पत्रों / कागजातों की जाँच की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्रों का सत्यापन उनके संस्थान से कराया जाएगा। संस्थान से प्रमाण–पत्रों का सत्यापन प्राप्त होने के उपरान्त ही उनके मानदेय का भुगतान किया जा सकेगा। यदि किसी अभ्यर्थी के प्रमाण–पत्र सत्यापन में गलत पाया गया तो उनके विरूद्व नियम संगत कार्रवाई की जायेगी।
18. अन्य शर्तें :– यह नियोजन पूर्णतः अस्थायी होगी एवं नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक होंगे न ही सरकारी सेवा में नियमितीकरण के हकदार होंगे।

निदेशक उद्यान, बिहार।